	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 03, सोमवार, शाके 1943-अक्टूबर 25, 2021 *Kartika 03, Monday , Saka 1943- October 25, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 08, 2021

प्रस्तावना

जी.एस.आर.366 :-माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.08.2018 में न्यायालय प्रबंधक के संबंध में यह निदेशित किया है कि न्यायालय प्रशासन के कार्य संपादन में सहायता करने हेतु वृत्तिक रूप से अर्हित एमबीए डिग्री रखने वालों को अधिमानता देते हुए, न्यायालय प्रबंधकों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए। न्यायालय प्रबंधकों के उक्त पद, प्रमुख जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की सहायता के लिए प्रत्येक न्यायिक जिले में सृजित किये जाने चाहिएं। ऐसे न्यायालय प्रबंधक जिला न्यायाधीशों को उनके मूल कार्य अर्थात् न्यायिक कृत्यों को अधिक समय देने में समर्थ बनायेंगे। इस प्रकार, उससे जिला न्यायिक प्रणा ली की दक्षता में वृद्धि होगी। ये न्यायालय प्रबंधक, उनके अपने-अपने न्यायाधीशों के पर्यवेक्षण के अधीन न्यायालय प्रबंध प्रणालियों की कमियों की पहचान करने और उनमें सुधार करने के लिए व्यावहारिक उपायों की सिफारिश करने में सहायता करेंगे। किसी जिले में न्यायालय प्रबंधक के रूप में पहले से ही कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की सेवाएं राज्य सरकार द्वारा विनियमित होनी चाहिएं क्योंकि हमारा यह सुविचारित मत है कि किसी भी न्यायालय के उचित प्रशासनिक स्थापन के लिए इनका सहयोग आवश्यक है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेशानुसार यह स्पष्ट हो जाता है, जिसमें यह निदेशित किया गया है कि किसी जिले में न्यायालय प्रबंधक के रूप में पहले से ही कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया जायेगा क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सुविचारित मत था कि किसी भी न्यायालय के उचित प्रशासनिक स्थापन के लिए इनका सहयोग आवश्यक है।

वर्तमान में न्यायालय प्रबंधक का कोई संवर्ग विद्यमान नहीं है, अतः प्रारंभिक भर्ती उन न्यायालय प्रबंधकों में से स्क्रीनिंग द्वारा की जायेगी जो न्यायालय में संविदा पर कार्य कर रहे हैं और जो न्यायालय प्रबंधक की अपेक्षित अर्हता रखते हैं और जिन्होंने न्यायालय प्रबंधक के पद पर दो वर्ष की लगातार सेवा, संविदा पर पूर्ण कर ली है। इसके पश्चात्, उक्त पद पर भर्ती, भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित लिखित प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार और परियोजना रिपोर्ट आयोजित करके, सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.- राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5 के विद्यमान उप-नियम (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (iv) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) प्रबंध संबंधी कार्यों के लिए न्यायालय प्रबंधक होंगे। कर्मचारियों की संख्या और पे मैट्रिक्स ऐसी होगी जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची-v में विनिर्दिष्ट है।"

3. नियम 6 का संशोधन.- नियम 6 के विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (घ) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) न्यायालय **प्रबंधकों के लिए:-** न्यायालय प्रबंधक के पद पर भर्ती निम्नलिखित रूप से की जायेगी:-

(i) प्रारंभिक भर्ती, तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के अधीन अधीनस्थ न्यायालय में एक बारीय व्यवस्था के रूप में संविदा पर कार्य कर रहे न्यायालय प्रबंधकों में से स्क्रीनिंग द्वारा की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा उपयुक्त रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है और ऐसी नियुक्ति भविष्यलक्षी तारीख से अर्थात् ऐसे नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी:

परन्तु उनके पास पद की अपेक्षित अर्हता हो और उनकी संविदाजन्य सेवाएं संतोषप्रद पायी गयी हों। नियमों में संशोधन की तारीख को उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में, न्यायालय प्रबंधकों के पद पर संविदा पर दो वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो:

परन्तु यह कि विद्यमान संविदाजन्य न्यायालय प्रबंधकों की स्क्रीनिंग के प्रयोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जायेगा यदि, वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय अधिकतम आयु सीमा के भीतर थे।

(ii) इसके पश्चात्, पद पर भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

सीधी भर्ती, भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार और परियोजना रिपोर्ट आयोजित करके, की जायेगी।

प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार और परियोजना रिपोर्ट की स्कीम और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।"

4**. नियम 10 का संशोधन.-** नियम 10 के विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (3) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) न्यायालय प्रबंधक के पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित होना चाहिए:-

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री या समतुल्य या सामान्य प्रबंधन में एडवांस डिप्लोमा; और

(ii) प्रणाली और प्रक्रिया प्रबंधन में पांच वर्ष का अनुभव/ प्रशिक्षण;

या

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रणाली प्रबंधन में 5 वर्ष का अनुभव/ प्रशिक्षण।

(iii) कंप्यूटर एप्लीकेशन कौशलों का ज्ञान।"

5. नयी अनुसूची-V का जोड़ा जाना.- हटायी गई अनुसूची-iv के पश्चात् निम्नलिखित नयी **अनुसूची-V** जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

अनुसूची-V

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			पे मैट्रिक्स	पे मैट्रिक्स में लेवल	विशेष वेतन/भत्ता
		अस्थायी	स्थायी	कुल			
1	न्यायालय प्रबंधक (जिला न्यायालय)	-	35	35	56100-177500	L-14	---

[सं. एफ 3(33)डीओपी/ए-II/85 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह ,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.-II

NOTIFICATION

Jaipur, October 8, 2021

Preamble

G.S.R.366 .- Hon'ble Supreme Court in its order dated 02.08.2018 qua the Court Manager directed that professionally qualified court managers, preferably with an MBA degree, must also be appointed to render assistance in performing the court administration. The said post of Court managers must be created in each judicial district for assisting Principal District and Sessions Judges. Such Court Managers would enable the District Judges to devote more time to their core work, that is, judicial functions. This, in term, would enhance the efficiency of the District Judicial System. These court managers would also help in identifying the weaknesses in the court management systems and recommending workable steps under the supervision of their respective judges for rectifying the same. The services of any person already working as a Court Manager in any district should be regularized by the State Government as we are of the considered view that their assistance is needed for a proper administrative set up in a Court.

Pursuant to the above direction of Hon'ble Supreme Court it is very clear, wherein it has been directed that the services of any person already working as a Court Manager in any District shall be regularized by the State Government as Hon'ble Supreme Court was of the considered view that their assistance is needed for a proper administrative set up in a Court.

Presently no cadre of Court Manager exists, therefore, initial recruitment shall be made by screening from the Court Manager working in courts on contract and who are in possession of required qualification of the Court Manager and who have completed two years service on contract on the post of Court Manager. Thereafter, recruitment to the post shall be made by direct recruitment holding competitive written examination, interview and project report conducted by the recruiting authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Rajasthan, in consultation with the High Court of Judicature of Rajasthan, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan District Court Ministerial Establishment Rules, 1986, namely:-

l. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 5.- After the existing sub-rule (iii) of Rule 5 of the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, herein after referred to as the said rules, the following new sub-rule (iv) shall be added, namely:-

"(iv) For Management related work, there shall be Court Managers. The strength of staff and pay matrix shall be as specified in Schedule-V appended to these rules."

3. Amendment of rule 6.- After the existing clause (c) of Rule 6, the following new clause (d) shall be inserted:-

(d) For Court Managers:- Recruitment to the post of Court Manager shall be made as follows :-

(i) Initial recruitment shall be made by screening from the Court Managers working in Subordinate Courts on contract under the grant of 13th Finance Commission, as a one time arrangement. The appointing authority shall issue appointment order of the person who is adjudged suitable by the screening committee and appointment shall be effective from the prospective date that is from the date of issue of such appointment order:

Provided that they are in possession of required qualification of the post and their contractual services are found satisfactory. As on the date of amendment in the rules, they must have completed two years continuous service on contract on the post of Court Managers in Subordinate Court.

Provided further that maximum age limit for the purpose of screening of existing contractual Court Managers would be relaxed, if they were within the maximum age limit at the time of their initial appointment.

(ii) Thereafter, recruitment to the post shall be made by direct recruitment.

Direct recruitment shall be made by holding competitive examination, interview and project report conducted by the recruiting authority.

The scheme and syllabus of competitive examination, Interview and project report shall be as prescribed by the High Court from time to time.

4. Amendment of rule 10.- After existing sub rule (2) of Rule 10, the following new sub-rule (3) shall be inserted:-

"(3) A candidate for recruitment to the post of Court Manager must have:-

(i) A degree of MBA or equivalent or advanced Diploma in General Management from recognized University, and

(ii) Five years' experience/ training in Systems and Process Management,

Or

Five years' experience/ training in IT Systems Management, Human Resources Management, Financial Systems Management.

(iii) Knowledge of Computer Application Skills."

5. Addition of new Schedule-V:- After the deleted Schedule-IV, the following new Schedule-V shall be added, namely:-

Schedule-V

S. No.	Name of post	No. of posts			Pay Matrix	Level in Pay Matrix	Special Pay/Allowance
		Temporary	Permanent	Total			
1	Court Manager (District Courts)	-	35	35	56100-177500	L-14	---

[No. F. 333) DOP/A-II/85 pt.]
By order and in the name of the Governor
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।